एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय – भोपाल

क्रमांक / धान–उपार्जन / 2010 / 250 / 1061 भोपाल, दिनांक 15.12.10

प्रति,

1. क्षेत्रीय प्रबंधक,
   एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
   (समस्त)
2. जिला प्रबंधक,
   एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
   (समस्त)

विषय– खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में धान मिलिंग (सीएमआर) के विषय में मुख्य नीति–निर्देश।

संदर्भ– मुख्यालय परिपत्र क्रमांक / धान उपार्जन / खरीफ / 10–11 / 248 / 770 दिनांक 29.09.10

––

खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की व्यवस्थित – त्वरित मिलिंग (सीएमआर) कराने के लिये मिलर्स से अनुबंध निष्पादन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे –

I पात्र मिलर्स हेतु निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखे –

01. मिलर्स से जिला उद्योग केन्द्र से पंजीयन प्रमाण–पत्र व उत्पादन क्षमता संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करें ।
02. मिल चालू है, संबंधी प्रमाण–पत्र तथा आयकर, वाणिज्यिक कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करें। इस विषय में अधतन रिर्टन फाईल की कॉपी प्राप्त करें । यह मिल कार्यरत है वा प्रचलित लागु व्यवस्थाओं का पालन कर रही है कि पुष्टि संदर्भ में ली जाना है ।
03. मिल वर्तमान में चालू है, इसका भौतिक सत्यापन कर ले। अनुबंध के तुरंत पहले का बिजली का बिल, इत्यादि भी प्रमाण के रूप में प्राप्त करे।

II मिलिंग क्षमता अनुसार अनुबंध –

04. मिलर्स को मिलिंग हेतु प्रदाय धान की मिलिंग अवधि का निर्धारण मिलर्स द्वारा प्रस्तुत किये गये मिलिंग क्षमता **X** प्रतिदिन कार्यशील घंटे **X** प्रतिमाह दिवस। उदाहरणार्थ – यदि मिल की प्रति घंटा मिलिंग क्षमता 2 मे0टन है तथा नियमानुसार दो पारी अर्थात 16 घंटे व माह के 25 दिवस मिल कार्यरत रहती है तब उसकी प्रतिमाह मिलिंग क्षमता निम्न अनुसार होगी –

    2 **X** 16 **X** 25= 800 मे0टन प्रतिमाह

05. म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल 2000 के निर्देशानुसार मिलर्स के द्वारा उसकी मिलिंग क्षमता का 35 प्रतिशत कस्टम मिलिंग अनिवार्यतः की जाना है। अतएव मिलर्स की मिलिंग क्षमता का न्यूनतम 35 प्रतिशत मिलिंग अनुबंध अवश्य किया जाये।

06. स्कंध की त्वरित मिलिंग हेतु मिलर्स को उसकी मिलिंग क्षमता (बिन्दु–04 पर अंकित फार्मूले के अनुसार दर्शित अधिकतम मिलिंग क्षमता) की 90 प्रतिशत मात्रा से अधिक मात्रा का अनुबंध न किया जाये । तदानुसार ही अनुबंध अवधि का प्रावधान सुनिश्चित करे।

7.1 प्रयास यह हो कि अधिकाधिक मिलर्स मिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सके जिससे जहॉ एक ओर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते मिलिंग कार्य तीव्र गति से हो सकेगा वहीं मिलर्स विशेष पर कार्य की निर्भरता भी नहीं रहेगी ।

7.2 मुख्यालय द्वारा इस परिपत्र को निगम की वेबसाईट पर लोड कराया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक तथा जिला प्रबंधक कार्य में पारदर्शिता हेतु जिला कलेक्टर एवं खाद्य विभाग से चर्चा कर निगम की धान मिलिंग हेतु समस्त मिलर्स को अवगत कराने के लिये विज्ञप्ति निकलवाये तथा समस्त कार्यवाहियां का रिकार्ड रखे। जारी विज्ञप्ति की प्रति मुख्यालय भेजे।

7.3 मिलर्स की क्षमता को देखते हुये ही मिलिंग मात्रा के अनुबंध किए जायेंगे, किन्तु सिर्फ प्रदेश के मिलर्स से ही कस्टम मिलिंग का कार्य कराए जाने के बिन्दु पर आर्थिक दृष्टिकोण और शीघ्र मिलिंग की दृष्टि से प्रदेश के बाहर स्थित मिलर्स से भी कस्टम मिलिंग का कार्य कराये जाने का विकल्प राज्य की उपार्जन एजेंसियों के पास रहेगा।

08. राईस मिलर्स से संलग्न अनुबंध परिशिष्ट 'अ ' अनुसार अनुबंध करवाना है। अनुबंध के प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़कर अनुपालन हेतु समझकर समय पर कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करे।

III <u>मिलिंग अनुबंध हेतु सामान्य नीति –</u>

9.1 **जिले में कार्यरत स्थानीय मिलर्स से धान मिलिंग/सीएमआर प्राप्ति का अनुबंध संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा जहां धान उपलब्ध है, के द्वारा कराया जायेगा ।** इस हेतु स्थानीय मिलर्स की मिलिंग क्षमता, 30 जून 2011 केन्द्र शासन द्वारा प्रदाय अंतिम मिलिंग अवधि, न्यूनतम व्ययभार तथा राइस मिलर्स द्वारा कार्य करने हेतु कार्य इच्छा (willingness) अनुसार शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित गुणवत्ता के साथ कार्य करने की स्थिति देखते हुये जितनी मिलिंग हो सकती है उक्त का निर्धारण करते हुये कार्यवाही करे।

9.2 जिले में उपार्जित धान की यथासंभव मिलिंग स्थानीय मिलर्स से ही कराई जाना है। यदि उपार्जन मात्रा की समयावधि में मिलिंग स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है, तो इस बाबत औचित्य अभिलेखबद्ध कर अन्य जिले के मिलर्स से न्यूनतम व्ययभार पर अनुबंध कराने हेतु प्रस्ताव संबंधित जिला प्रबंधक अमानत राशि जमा करके, औचित्य के साथ मय चेक लिस्ट क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजे तथा क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अभिमत के साथ औचित्य का प्रस्ताव मुख्यालय भेजेंगे। मुख्यालय की अनुबंध हेतु अनुमति उपरांत ही संबंधित (जहां धान संग्रहित है)जिला प्रबंधक द्वारा अनुबंध किया जाये।

9.3 राईस मिलर्स को अनुबंध अनुसार कार्य करने हेतु अनुबंधित मात्रा राईस मिलर्स की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखकर निर्धारित की जाये, **जो अधिकतम दो माह का समय–सीमा या मिलिंग हेतु केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा दोनों में से जो भी कम हो उस अवधि हेतु मिलिंग की समय–सीमा प्रदान करे।**

IV <u>धान मिलिंग प्रस्ताव के साथ प्राप्त योग्य ई0एम0डी0 राशि –</u>

10. सभी मिलिंग प्रस्ताव में (जिले के अंदर के या जिले के बाहर के) में राईस मिलर्स से रूपये 10000/– अमानत राशि प्राप्त करे। अंतर जिला मिलिंग कराने की स्थिति में मिलर्स से प्राप्त आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अमानत राशि रूपये 10,000/– तथा निर्धारित चेक लिस्ट प्रमाणीकरण व स्पष्ट अनुशंसा के साथ मुख्यालय महाप्रबंधक(धान उपार्जन) को भेजे। **इसके अभाव में अंतर जिला धान मिलिंग प्रस्ताव विचार योग्य नहीं रहेंगे। सभी इच्छुक मिलर्स को योग्य प्रचार–प्रसार कर यह स्पष्ट कर दे। सीधे लेटर हेड पर फैक्स/डाक से प्रेषित ऑफर–प्रस्ताव विचार योग्य नहीं है।**

V <u>सीएमआर/लेव्ही चावल गुणवत्ता नियंत्रण विषयक कार्यवाहियां –</u>

11.1 निगम मुख्यालय द्वारा जारी उपार्जित सीएमआर एवं लेव्ही चावल गुणवतता परीक्षण व्यवस्था विषयक मुख्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन(धान मिलिंग)/ 446/2010–11/657 भोपाल, दिनांक 30.08.10 एवं मुख्यालय पत्र कमांक/साविप्र/10–11/435 दिनांक 10.09.10 में दिये गये **प्रमुख निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करावे। (संलग्न)**

11.2 **म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–10/2010/29–1(ब) भोपाल, दिनांक 21.10.10 से खरीफ विपणन मौसम 2010 में चावल पर लेव्ही अधिरोपित करने के लिये नीति निर्धारण के बिन्दु क्रमांक 18 जिसमें मिलिंग उपरांत सीएमआर/लेव्ही चावल स्वीकार करने में गुणवत्ता निरीक्षण त्रिस्तरीय निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी –**

(अ) **<u>प्रथम निरीक्षण</u> – मिल पाइंट पर गुणवत्ता जांच** – संबंधित उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता निरीक्षण द्वारा।

(ब) **<u>द्वितीय निरीक्षण</u> – भण्डारण केन्द्र** पर प्राप्त होने वाले सीएमआर व लेव्ही चावल की गुणवत्ता जांच– एम.पी. एस.सी.एस.सी. के गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा।

(स) **<u>तृतीय निरीक्षण</u>** – प्राप्त चावल का मिलर को भुगतान व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय/अन्य जिले को परिवहन– एम.पी. एस.सी.एस.सी. के जिला प्रबंधक व जिला आपूर्ति अधिकारी/उनके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्ता जांच करने के पश्चात–**अंतर जिला परिवहन की स्थिति में उक्त त्रिस्तरीय गुणवत्ता जांच के अलावा** प्राप्तिकर्ता जिले के जिला प्रबंधक द्वारा स्वयं गुणवत्ता जांच की जावेगी एवं प्रमाणित गुणवत्ता का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु जारी किया जावेगा।

उक्त बिन्दुओं का पालन कडाई से सुनिश्चित कराया जाये।

केन्द्र शासन द्वारा नियत अवधि अधिकतम 30 जून 2010 के पूर्व धान मिलिंग कार्य पूर्ण कराया जाना है । अतः त्वरित गति से निर्धारित गुणवत्ता का विशेष धान रखकर धान मिलिंग कराकर निर्धारित गुणवत्ता का चावल जमा कराने हेतु संबंधित गुणवत्ता निरीक्षक, जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक तीनों उत्तरदायी होगें।

संलग्न :— 1. अनुबंध पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट 'अ')
2. चेक लिस्ट का प्रारूप (परिशिष्ट 'ब')

(के0सी0गुप्ता)
प्रबंध संचालक

क्रमांक / धान—उपार्जन / 2010 /   भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः—

01. प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल।
03. मान. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष महोदय के निज सहायक, मुख्यालय भोपाल।
04. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहांगीराबाद भोपाल।
05. प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल।
06. कलेक्टर, समस्त।
07. कार्य0 संचालक(वित्त) / महाप्रबंधक(साविप्र) / महाप्रबंधक(स्थापना) मुख्यालय, भोपाल।
08. अतिरिक्त महाप्रबंधक(कम्प्यूटर) मुख्यालय, भोपाल। परिपत्र को निगम की बेवसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट 'ब'

चेक लिस्ट

धान मिलर्स से धान मिलिंग हेतु प्रस्ताव पर क्षेत्रीय एवं जिला प्रबंधक द्वारा अभिमत देने हेतु बिन्दु

01. जिला कार्यालय में दिनांक .... तक .... मात्रा का धान उपार्जन किया जा चुका है। इसमें .... मे0टन धान मिलिंग हेतु शेष बची हुई है।
02. उक्त धान के विरूद्ध स्थानीय मिलर्स से .... मात्रा के अनुबंध किये जा चुके हैं। मिलर्स की स्थानीय मिलिंग क्षमता का नियमानुसार उपयोग किया जा चुका है।
03. जिले की राईस मिलर्स की मिलिंग क्षमता की जानकारी –
    - राईस मिलर्स
    - समस्त मिलर्स की प्रति घंटा मिलिंग क्षमता
    - प्रतिदिन मिलिंग क्षमता
    - मासिक मिलिंग क्षमता
    - 30 जून 2011 तक की मिलिंग क्षमता
04. जिले की मिलिंग क्षमता अनुसार उपार्जित धान की मात्रा .... मे0टन तक ही स्थानीय मिलर्स से कार्य कराया जा सकता है।
05. जिले के निकटतम दूरी .... कि0मी0 पर .... जिला है। वहा पर .... मिलर्स है, उनकी मिलिंग क्षमता .... मे0टन है, उनसे .... मे0टन धान की मिलिंग न्यूनतम दूरी – व्ययभार आधार पर ही निगम हित में कराई जाना प्रस्तावित है, उक्त जिला सबसे निकटतम दूरी पर होने से मिलिंग हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
06. आवेदित मिलर्स का पूर्व वर्ष का अनुभव अच्छा रहा है तथा मिलर द्वारा समय पर कार्य पूर्ण किया गया है।
07. मिलर्स से जिला उद्योग केन्द्र से पंजीयन प्रमाण पत्र व उत्पादन क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
08. मिल वर्तमान में चालू है, सबंधी प्रमाण पत्र, पूर्व माह का बिजली का बिल तथा आयकर, विक्रयकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
09. स्कंध की त्वरित मिलिंग के दृष्टिगत मिलर्स को उसकी क्षमता की 90 प्रतिशत मात्रा से अधिक मात्रा का अनुबंध नहीं किया गया है।
10. राईस मिलर्स का मिलिंग हेतु ऑफर पत्र क्रमांक ..... दिनांक .... संलग्न।
11. मिलर्स से ऑफर के साथ अमानत राशि रूपये 10,000.00 डी.डी. क्रमांक/नगद कार्यालयीन मनी रसीद क्रमांक .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये हैं।
12. उक्त के अतिरिक्त कोई बिन्दु हो, तो।

अनुबंध की अनुशंसा की जाती है — **जिला प्रबंधक**

अनुबंध की अनुशंसा की जाती है — **क्षेत्रीय प्रबंधक**

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
मुख्यालय – भोपाल.

क्रमांक/उपार्जन(धान–मिलिंग) 446/2010–11/657 भोपाल, दिनांक 30.08.10

// आदेश //

प्रचलित खरीफ सीजन 2009–10 में कारपोरेशन के मुख्य रूप से जबलपुर एवं सतना संभाग में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की सीएमआर मिलिंग एवं प्रचलित लेव्ही नीति के अनुसार चावल निर्धारत गुणवत्ता एवं मापदण्डों के अनुसार स्वीकार करने के निर्देश मुख्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक/उपार्जन/2009–10/931 दिनांक 07.10.09 एवं पत्र क्रमांक/उपार्जन/2009–10/1011/भोपाल, दिनांक 30.10.09 से यथा समय आपको प्रेषित किये गये है ।

02. निर्धारित गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार सीएमआर–लेव्ही चावल स्वीकार करने के भारत शासन मापदण्ड का कड़ाई से पालन करना/करवाना आपसे बतौर जिला प्रबंधक कार्य दायित्व है । **समीक्षा में यह पाया जा रहा है स्पष्ट मापदण्डों, दिशा निर्देशों एवं मुख्यालयों के सतत् निर्देशों के बावजूद कई जिलों में सीएमआर–लेव्ही चावल निर्धारित मापदण्डों एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार स्वीकार न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ।** उल्लेखनीय है कि डी0सी0पी0 योजना के तहत यह स्वीकार किया गया चावल राज्य में कारपोरेशन के माध्यम से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय के लिए उपलब्ध कराया जाता है । अतः यह गुणवत्ता का विषय महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है ।

03. **उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से चालू खरीफ सीजन 2009–10 हेतु सीएमआर–लेव्ही चावल स्वीकार करने हेतु संबंधित जिलों में दोहरी गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था लागू की जाती हैं ।** वर्तमान में जिस जिले में जो गुणवत्ता परीक्षक (क्यू0आई0) यह कार्य कर रहा है उसके परीक्षण के उपरांत दूसरे संभाग/जिले का गुणवत्ता परीक्षक जिसके आदेश इसके साथ ही प्रसारित किये जा रहे हैं**(प्रति संलग्न)** के द्वारा भी निर्धारित मापदण्डों और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सीएमआर–लेव्ही चावल का स्वीकार्यता पूर्व परीक्षण कर लाट ओ0के0/रिजेक्ट स्थिति अनुसार किये जायेगें ।

04. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय/रेक प्रेषण के पूर्व यथा शीघ्र संबंधित जिला प्रबंधक** जहॉ लेव्ही–सीएमआर चावल स्कंध स्वीकार किया जा रहा है, भी स्कंध का निरीक्षण/परीक्षण कर निर्धारित गुणवत्ता का चावल ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय हो, यह हर हालत में सुनिश्चित करेगें । यदि जिला प्रबंधक निरीक्षण/परीक्षण में यह पाते है कि क्यू0आई0 ने निर्धारित गुणवत्ता से कम का स्कंध स्वीकार किया है तो तत्काल ही संबंधित क्यू0आई के विरूद्व प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कर संबंधित मिलर्स को अनुबंध के प्रावधानों के तहत स्कंध का अपग्रेडेशन, माल वापसी और पैनाल्टी

आदि कार्यवाही स्थिति अनुसार तत्काल सुनिश्चित करेगें जिससे आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

05. **संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक भी** सामायिक रूप से उक्त व्यवस्था का गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से पर्यवेक्षण रखेगें और यथा समय कार्यवाही सुनिश्चित करेगें जिससे निर्धारित गुणवत्ता की सीएमआर–लेव्ही चावल स्वीकार हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत की स्थिति न बने ।

उपरोक्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा स्थिति पाई जाने पर संबंधित क्यू0आई0 के साथ–साथ संबंधित जिला – क्षेत्रीय प्रबंधक और जबलपुर पदस्थ व्यवसाय सलाहकार(उपार्जन) का भी उत्तरदायित्व रहेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(के0सी0गुप्ता)
प्रबंध संचालक

क्रमांक / उपार्जन(धान–मिलिंग) 446 / 2010–11 / 657 भोपाल, दिनांक 30.08.10

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ,पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. माननीय अध्यक्ष / प्रबंध संचालक के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ ।
02. महाप्रबंधक (साविप्र), मुख्यालय भोपाल ।
03. कार्यपालन संचालक(वित्त) मुख्यालय, भोपाल ।
04. क्षेत्रीय प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 **समस्त** ।
05. व्यवसाय सलाहकार(उपार्जन)म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 द्वारा क्षेत्रीय कार्यलय जबलपुर ।
06. जिला प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, अनुपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, रीवां, सतना, भिण्ड, ग्वालियर, दमोह, पन्ना ।

प्रबंध संचालक

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
मुख्यालय – भोपाल

क्रमांक/साविप्र/10–11/435 भोपाल, दिनांक 10.9.10

प्रति,

01. क्षेत्रीय प्रबंधक/व्यवसाय सलाहकार(उपार्जन)जबलपुर
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
समस्त.

02. जिला प्रबंधक
म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
समस्त.

विषयः– प्रचलित खरीफ वर्ष 2009–10 में उपार्जित सी0एम0आर0/लेव्ही चावल गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था विषयक ।

सन्दर्भः– 1. मुख्यालय पत्र क्र0/उपा0/09–10/1011 दिनांक 30.10.09 ।
2. पत्र क्रं./उपा.धान मिलिंग/10/446/657 दिनांक 30.08.10 ।

संदर्भित विषयान्तर्गत प्रचलित खरीफ वर्ष 2009–10 में उपार्जित किये जा रहे सी0एम0आर0/लेव्ही चावल में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कड़ाई से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमुख बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कर उत्तरदायित्व के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये पुनः निर्दिष्ट किया जा रहा हैः–

01. जिस भी जिले में उपार्जित धान की सी0एम0आर0 मिलिंग/लेव्ही चावल नियम और पात्रता अनुसार स्वीकार करने की स्थिति है वहॉ संबंधित पदस्थ गुणवत्ता परीक्षक (क्यू0आई0) पूर्ण सजगता और सर्तकता से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही चावल स्वीकार करें । संदर्भित मुख्यालय आदेश दिनांक 30.08.10 के अनुसार दोहरी परीक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराये ।

02. जिन जिलों में उपार्जित धान की स्थानीय मिलिंग के उपरांत उसी जिले में सी0एम0आर0/लेव्ही के अंतर्गत प्राप्त चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करने की स्थिति है वहॉ के जिला प्रबंधक गोदाम में स्वीकृत हुये चावल का पुनः परीक्षण कर ले कि यह स्कंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वितरण योग्य है । यदि कहीं कोई लॉट सब–स्टेन्डर्ड पाया जाये तो तत्काल उसे संबंधित मिलर्स से बदलवाने अथवा अपग्रेडशन कर इसका व्यय संबंधित मिलर्स से वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरांत ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिये स्कंध जारी किया जाये । किसी भी स्थिति में सब–स्टेन्डर्ड(निम्न गुणवत्ता) चावल स्कंध इश्यु न हो यह जबावदेही संबंधित जिला प्रबंधक की रहेगी । सब–स्टेन्डर्ड चावल पाई जाने की स्थिति में संबंधित मिलर्स के साथ–साथ संबंधित क्यू0आई0 पर भी योग्य वित्तीय/प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं जानकारी मुख्यालय यथा समय दी जाये ।

03. जिन जिलों में मिलिंग के उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु जारी मूव्हमेंट के अनुसार चावल का स्कंध प्राप्त होने की स्थिति है वहॉ प्रेषण जिले के जिला प्रबंधक के साथ–साथ प्राप्तकर्ता जिले के जिला प्रबंधक का भी उत्तरदायित्व रहेगा कि वह अपने यहॉ गुणवत्ता परीक्षण करवाने के उपरांत ही चावल स्कंध स्वीकार करें और स्वयं गुणवत्ता के बारे में संतुष्टि के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्कंध जारी करें/करवायें अन्यथा स्थिति पाये जाने पर बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार यहॉ भी लागू रहेगी ।

04. उपरोक्त अनुसार जो चावल स्कंध जिलों में प्राप्त हो गया है/स्वीकार किया गया है उसे तत्काल रि–चेक कर दिया जाये और जहॉ भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो वहॉ यह कार्यवाही

करने के उपरांत ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्कंध जारी किया जाये, साथ ही संबंधित दोषी मिलर और क्यू0आई0 के विरूद्व बिन्दु क्रमांक 02 उल्लेख अनुसार वित्तीय वसूली और प्रशासनिक कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जाये एवं मुख्यालय अवगत कराया जाये ।

05. इस क्रम में प्रत्येक जिला प्रबंधक प्रति सप्ताह अपने प्रदाय केन्द्र गोदामों का निरीक्षण कर चावल स्कंध गुणवत्ता हर हालत में सुनिश्चित करेगें । संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक भी अपने संभागान्तर्गत प्रत्येक माह, प्रत्येक जिले का निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार गुणवत्ता और इससे संबंधित वित्तीय वसूली और प्रशासनिक कार्यवाहियॉ आवश्यकतानुसार यथा समय सुनिश्चित करेगें जिससे किसी भी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निम्न गुणवत्ता स्कंध प्रदाय की स्थिति/शिकायत न आये । व्यवसाय सलाहकार(उपार्जन) भी सतत रूप से विशेषकर जबलपुर और सतना संभाग के जिलों में निरीक्षण कर स्कंध गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगें ।

06. जिन जिलों में उनकी साविप्र आवश्यकता से अधिक सी0एम0आर0/लेव्ही चावल प्राप्त होने की स्थिति के कारण रेलवे रैक/सड़क मार्ग से परिवहन मूव्हमेंट दिया गया है में चावल स्कंध प्रेषण के पूर्व भेजा जा रहा स्कंध निर्धारित अच्छी गुणवत्ता का है यह स्वयं जिला प्रबंधक निरीक्षण कर सुनिश्चित करेगें, किसी भी स्थिति में निम्न गुणवत्ता का चावल स्कंध प्रेषित न हो यह जबावदेही रहेगी । स्कंध प्रेषण के पूर्व भेजे जा रहे स्कंध में मिलर का छापा स्पष्ट है यह सुनिश्चित करेगें । जिले में प्राप्त होने वाले समस्त स्कंध में संबंधित मिलर का छापा स्पष्ट हो यह आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य है, इसे हर हालत में सभी स्तरों पर देखा जाये । ऐसे प्रकरणों में प्राप्तकर्ता जिला प्रबंधक भी स्कंध प्राप्त करने/स्वीकार करने में निर्धारित गुणवत्ता का स्कंध ही प्राप्त हुआ है इसको स्वयं निरीक्षण कर सुनिश्चित कर यदि कहीं अन्यथा स्थिति पाई जाती है तो तत्काल ही बिन्दु क्रं0 03 उल्लेख अनुसार कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करेगें ।

(के0सी0गुप्ता)
प्रबंध संचालक

पृ0क्रं0/साविप्र/2010–11/435 भोपाल,दिनांक 10.9.10

प्रतिलिपिः–

1. माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0, भोपाल के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त सह संचालक,खाध, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग, संचालनालय, भोपाल ।
4. महाप्रबंधक(धान–उपार्जन)/कार्यपालन संचालक(वित्त)/महाप्रबंधक(स्थापना), म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0, मुख्यालय भोपाल ।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट - "अ"

अनुबंध कराने वाले जिले का नाम ....

खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने हेतु अनुबंध का प्रारूप (राशि रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर)

अनुबंध

आज दिनांक...................... दिन..................... को यह अनुबंध पत्र म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, की ओर से श्री................................ जिला प्रबंधक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, ... जिसे आगे चलकर (पक्ष क्रमांक-01) कहा गया है तथा मेसर्स .... राईस मिलर की ओर से श्री.. मालिक/प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि जिसे आगे चलकर (पक्ष क्रमांक-02) कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जा रहा है ।

(I) **मिलिंग क्षमता अनुसार अनुबंध** -

यह कि पक्ष क्रमांक-01 राजस्व जिला................................ में उसके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य अंतर्गत क्रय की गई धान की अरबा मिलिंग राज्य शासन की उपार्जन एवं लेव्ही नीति अंतर्गत कराकर चावल में रूपांतरित करना चाहता है तथा पक्ष क्रमांक-02 मेसर्स ....ने स्थान .... तहसील. .... जिला........... में स्थित अपने स्वामित्व की कार्यरत राईस मिल में पक्ष क्रमांक-01 द्वारा मिलिंग हेतु दी जाने वाली धान की मिलिंग करने के लिए सहमति प्रदान की तथा

म0प्र0शासन द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये जारी लेव्ही/सीएमआर आदेश की शर्तों के अनुसार (जिलों से जानकारी प्राप्त कर ली है)म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के धान को अरबा चावल में परिवर्तित करने पर भारत शासन द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित प्रति क्विंटल मिलिंग दर(जो घोषित की जाना है) से पक्ष क्रमांक-01 द्वारा पक्ष क्रमांक-02 को भुगतान नियमानुसार आयकर एवं अन्य प्रचलित करों आदि की वसूली उपरांत किया जावेगा। उक्त प्रति क्विंटल धान की मिलिंग दर पक्ष क्रमांक-02 द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी।

2. पक्ष क्रमांक-02 अनुबंधित अवधि.......................... में ....मे0टन कामन तथा ....मे0टन ग्रेड ए अर्थात् कुल........... मे0टन धान की मिलिंग कर अरबा चावल में रूपान्तरण करने के लिए प्रतिबद्ध है यह मात्रा उभय पक्षों मिलर की मिलिंग क्षमता देखकर निर्धारित-सहमत की गई है। पक्ष क्रमांक-02 द्वारा अनुबंध करने के **पूर्व जमानत** के रूप में अनुबंधित धान मात्रा के लिए **रूपये 10 प्रति क्विंटल** की दर से राशि जमा कराई जाएगी, इस राशि पर पक्ष क्रमांक-01 द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा इस राशि का भुगतान पक्ष क्रमांक-02 को कार्य पूर्ण करने, देयताओं की पूर्ति तथा लेखों के पूर्ण मिलान के उपरांत अनुबांकर्ता जिले द्वारा वापस किया जाएगा।

3.. राईस मिलर्स धान उपार्जन की संभावना के दृष्टिगत अग्रिम मिलिंग अनुबंध निगम से कर सकेगा। धान उपार्जन न होने/कम होने की स्थिति में कार्पोरेशन पक्ष क्रमांक –01 की कोई जवाबदेही – देयता पक्ष क्रमांक – 02 हेतु नहीं रहेगी।

4. मिलर को अनुबंधित मात्रा की मिलिंग खरीफ वर्ष 2010-11 में भारत शासन द्वारा निर्धारित चावल गुणवत्ता मापदण्डों **(संलग्न परिशिष्ट स जो अनुबंध का भाग है)** अनुसार मिलिंग कर चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरशन के निर्धारित गोदाम में निर्धारित अवधि अंतर्गत देना होगा, जिस हेतु वह सहमत हुआ है। अनुबंध अवधि के **प्रत्येक एक तिहाई भाग** में समानुपातिक रूप से अनुबंधित मात्रा के एक तिहाई भाग की धान की मिलिंग कर मिलर द्वारा चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को करना होगा।

(II) <u>धान मिलिंग समय–सीमा में करवाना, औचित्य व आवश्यक होने पर समय–सीमा में वृद्धि तथा वृद्धि उपरांत कार्य नहीं करने पर पेनाल्टी –</u>

5.1 मिलर्स को अनुबंध में दी गई समय–सीमा में धान का मिलिंग कर निगम में जमा करानी होगी। इस हेतु सतत पर्यवेक्षण संबंधित जिला–क्षेत्रीय प्रबंधक वा मिलर स्वयं रखेगें।

5.2 यदि राईस मिलर्स समय–सीमा में धान की मिलिंग नहीं कर पाता है, तो संबंधित मिलर्स की निगम हितों को दृष्टिगत रखकर, औचित्यतता प्रमाणित होने पर समय–सीमा में योग्य वृद्धि संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा की जा सकेगी, जिस हेतु मिलर्स को निर्धारित पेनाल्टी के अतिरिक्त बढाई अवधि का धान भण्डारण व्यय तथा धान के मूल्य का ब्याज निगम में जमा कराना होगा।

5.3 क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मिलिंग हेतु अधिकतम केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित अवधि के एक माह पूर्व तक की ही समय–वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा। यह वृद्वि एक अनुबंध में औचित्यता प्रमाणित होने पर मात्र एक बार ही दी जा सकेगी।

5.4 उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा राईस मिलर्स को अधिकतम 10 दिवस समय वृद्धि मिलर्स की मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुये की जावेगी, किन्तु समय–सीमा में वृद्धि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा मांग अधिकार स्वरूप नहीं की जा सकेगी।

5.5 इसी अनुबंध की कंडिका 04 उल्लेख – प्रावधान अनुसार अनुबंध उपरांत एक तिहाई समानुपातिक अनुबंधित मात्रा की धान मिलिंग ना हो पाने पर डिफाल्टेड धान मात्रा पर प्रति क्विंटल प्रतिदिन 01 रूपये पेनाल्टी पक्ष क्रमांक 02 द्वारा पक्ष क्रमांक 01 को देय होगी।

6. राईस मिलर्स को एक बार समय–सीमा वृद्धि करने के उपरांत भी यदि वह कार्य नहीं करेगा तो उसे दूसरी बार समय–सीमा में वृद्धि नहीं की जावेगी तथा मिलर्स की जमा जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।

7. मिलर द्वारा अनुबंध करने के पश्चात एक या दो लाट धान उठाव के बाद शेष अनुबिंधत धान मात्रा का उठाव/मिलिंग नहीं की जाती है तो देय पेनाल्टी समायोजन के बाद शेष उपलब्ध जमानत राशि अनुबंध अवधि समाप्ति पर राजसात की जा सकेगी । यदि फिर भी राशि शेष रहती है तो उसकी वसूली वैधानिक कार्यवाही द्वारा की जावेगी ।

8. राईस मिलर्स द्वारा कार्पोरेशन से किये गये अनुबंधों में एक ही सीजन में दो बार जमानत राशि जप्त कराने की स्थिति निर्मित होने पर उक्त राईस मिलर्स को उस खरीफ सीजन हेतु ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

(III) धान एवं चावल का परिवहन -

9. उपार्जित धान के संग्रहण/भण्डारण केन्द्रों से मिल पाइंट तक परिवहन एवं प्राप्त होने वाले सीएमआर तथा लेव्ही चावल का मिल पाइंट से प्रदाय केन्द्रों/भण्डारण केन्द्रों तक परिवहन सामान्यतः मिलर से नहीं कराया जायेगा, वरन यह परिवहन संबंधित उपार्जन एजेंसियों द्वारा अपने अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा कराया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में परिवहन आदेश दिये जाने के पांच दिवस उपरांत भी एजेंसी के परिवहनकर्ता द्वारा स्कंध उठाव प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो संबंधित एजेंसिया मिलर के माध्यम से भी यह कार्य करा सकेगी। ऐसी स्थिति में स्टेडिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत परिवहन व्यय देय होगा, किन्तु स्टेकिंग चार्ज पृथक से देय नहीं होगा।

10. चावल परिवहन की व्यवस्था में कार्पोरेशन के नियुक्त अनुबंधित परिवहनकर्ता को राईस मिलर्स द्वारा शतप्रतिशत तौल कराकर सीएमआर/लेव्ही चावल सौंपी गई मात्रा की स्थिति में परिवहन कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। राईस मिलर्स द्वारा बिना तौले सीएमआर/लेव्ही राईस परिवहनकर्ता को दिया जाता है, तो परिवहनकर्ता द्वारा कार्पोरेशन के गोदाम पर शतप्रतिशत तौलकर जमा कराई गई चावल की मात्रा को मान्य किया जायेगा तथा कमी का कटौत्रा राईस मिलर्स के देयकों से किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया धान परिवहन हेतु भी रहेगी।

11. राईस मिलर्स द्वारा धान एवं चावल का परिवहन करने पर परिवहन भुगतान हेतु राज्य स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी द्वारा निर्धारित दरें, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संबंधित जिले की दर तथा भारतीय खाद्य निगम के संबंधित जिले की दर में से जो भी न्यूनतम होगी, उस पर भुगतान किया जायेगा। भुगतान पूर्व संबंधित एजेंसी द्वारा कटौत्रा एवं नियमानुसार करों आदि की कटौती की जाकर,शेष भुगतान पक्ष क्रमांक-01 द्वारा पक्ष क्रमांक-02 को किया जावेगा ।

12. पक्ष क्रमांक-02 द्वारा कार्पोरेशन (पक्ष क्रमांक 01) से धान प्राप्ति पश्चात् उसी प्राप्त धान का परिवहन यदि ट्रक/रेल द्वारा मिल पाइंट हेतु किया जाता है, तो परिवहन से संबंधित ट्रक बिल्टी/आर0आर0 पक्ष क्रमांक-02 द्वारा पक्ष कमांक 01 को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परिवहन की तिथि, बोरों की संख्या, वजन तथा गंतव्य स्थान का विवरण होगा। गंतव्य स्थान वही होगा जहां कि पक्ष क्रमांक-02 की मिल स्थापित है । पक्ष क्रमांक-01 द्वारा उपरोक्त कण्डिका-01 में निर्धारित मिलिंग की दरों के अतिरिक्त पक्ष क्रमांक-02 को पक्ष क्रमांक-01 के जिला/समिति के गोदामों से धान परिवहन कर मिलिंग प्वाइंट तक ले जाने के लिए राज्य शासन की गठित स्टेंडिंग कमेटी के द्वारा स्वीकृत परिवहन व्यय जारी अनुबंध स्वीक़ित पत्र अनुसार स्वीकार्य होगा, जिसके लिए पक्ष क्रमांक-02 को परिवहन बिल के साथ-साथ धान परिवहन की ट्रकवार बिल्टी/आर0आर0 एवं ट्रक चालान(व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज) संलग्न करना अनिवार्य होगा । देय परिवहन व्यय में धान की लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय भी शामिल रहेगा, जिसका

व्यय पक्ष क्रमांक-2 द्वारा वहन किया जाएगा । पक्ष क्रमांक-01 के द्वारा दिया गया उक्त परिवहन व्यय पक्ष क्रमांक-2 को मान्य होगा । स्थिति अनुसार पक्ष क्रमांक-01 पक्ष क्रमांक-02 को कार्पोरेशन संग्रहण केन्द्र/गोदाम/खुले प्रांगण/**सहकारी समिति के** खरीदी केन्द्र से धान पक्ष क्रमांक-02 को देगा । धान का प्रदाय एक तरफ से/एक ही लाट से/एक ही गोदाम से पक्ष क्रमांक-02 को किया जाएगा । पक्ष क्रमांक-02 के द्वारा स्कंध की डिलेवरी प्राप्त करने के उपरांत स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता संबंधी कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जाएगा । **धान की कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स को प्रदान की जाने वाली धान के बोरे बिना तौले जहाँ है जैसा है, के अन्तर्गत मानक वजन के आधार पर मिलर्स को परिदान किये जायेंगे तथा मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु प्राप्त धान का 67 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार अरवा चावल जमा कराना अनिवार्य होगा । मिलर्स चाहे तो शत-प्रतिशत तौल कराकर धान का परिदान ले सकता है । उक्त स्थिति में मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु प्राप्त धान का 68 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार अरवा चावल जमा करना अनिवार्य होगा।**

(IV) धान से सीएमआर का प्रतिशत, मिलिंग उपरांत बचे 100 उत्पाद एवं चावल के बोरों पर पहचान -

13. अरबा चावल औसत अच्छी किस्म(एफ.ए.क्यू.)धान से तैयार झड़ती 67 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित प्रतिशत की दर से तथा यदि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर यू.आर.एस.धान की खरीदी की अनुमति प्रदान की जाती है तब उससे तैयार चावल की झड़ती भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत की दर से पक्ष क्रमांक-02 द्वारा पक्ष क्रमांक-01 को अनिवार्य रूप से देना होगा । मिलिंग उपरांत बचे हुए सह-उत्पाद अर्थात् कोढ़ा, मोटा कोढ़ा, कनकी, भूसी आदि पक्ष क्रमांक-02 की होगी और उसके लिए पक्ष क्रमांक-01 किसी प्रकार की कीमत नहीं लेगा ।

14. मिलर्स द्वारा अपने स्वयं के खर्च से सीएमआर एवं लेव्ही चावल के भरे बोरे की सिलाई करने के पूर्व प्रत्येक बोरे में बाहरी तथा अन्दरी भाग में दर्शित हेतु प्रत्येक तरफ के लिये एक 15 X 10 से0मी0 की रेकजीन या केनवास केवल (प्लास्टिक नहीं) के टुकडे पर जिसमें स्थिति अनुसार एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2010–11, कोड नम्बर, मिल का नाम, पता तथा सम्पर्क नम्बर, अरवा या उष्णा चावल, चावल का ग्रेड, शुद्ध वजन, लॉट संख्या, सीएमआर एवं लेव्ही चावल आदि लिखा हुआ सिलाई के साथ लगाना अनिवार्य है, जिसका सामान्य प्रारूप निम्न है:–

15 X 10 से0मी0 की रेक्जीन या केनवास केवल (प्लास्टिक नहीं) के तुकडे पर बाहरी भाग में दर्शित होने वाला	**15 X 10 से0मी0 की रेक्जीन या केनवास केवल (प्लास्टिक नहीं) के तुकडे पर बोरे के अंदर भाग में दर्शित होने वाला**
1. एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/ म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 2. कोड नंबर 3. राईस मिल का नाम,पता तथा सम्पर्क नम्बर 4. अरवा या उसना चावल का ग्रेड 5. चावल का ग्रेड 6. शुद्ध वजन 7. लॉट संख्या 8. सीएमआर/लेव्ही चावल	1. एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/ म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 2. कोड नंबर 3. राईस मिल का नाम,पता तथा सम्पर्क नम्बर 4. अरवा या उसना चावल का ग्रेड 5. चावल का ग्रेड 6. शुद्ध वजन 7. लॉट संख्या 8. सीएमआर/लेव्ही चावल

15. पक्ष क्रमांक-02 द्वारा परिवहन करने पर धान को चावल में परिवर्तित करने के बाद चावल की डिलेवरी भारत शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार पक्ष क्रमांक-01 के निर्दिष्ट डिपो/ गोदामों पर देगा और कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से एक्सेप्टेंस नोट प्राप्त करेगा । पक्ष क्रमांक-02 अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध वास्तविक रूप से परिदान में प्राप्त की गई धान की निर्धारित प्रतिशत की मात्रा से अधिक चावल का परिदान कार्पोरेशन को करना है तो उसका कोई दायित्व पक्ष क्रमांक-01 का नहीं होगा। इस कार्यवाही के दौरान पक्ष क्रमांक-02 मिल प्वाइन्ट पर धान की मिलिंग कर चावल को 50 किग्रा. नेट की भरती के बोरों में भरेगा, मशीन से नीला रंग के धागे से बोरे की दोहरी सिलाई करेगा, चावल को ट्रक में लोड करायेगा, मिल प्वाइंट से कार्पोरेशन के निर्दिष्ट गोदाम तक स्थितिनुसार अपने वाहन से परिवहन कराकर ले जायेगा, गोदाम पर अनलोड करायेगा, चावल की तौल करायेगा और कार्पोरेशन को तौल कराकर देगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में होने वाले व्यय पक्ष क्रमांक-02 स्वयं वहन करेगा ।

16. पक्ष क्रमांक-02 को जिस किस्म की धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जाता है उसी किस्म की धान की मिलिंग करके निर्धारित मात्रा वा भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार में चावल कार्पोरेशन को देगा । यदि पक्ष क्रमांक-02 द्वारा प्राप्त की गई धान से निर्मित निर्धारित मात्रा से अधिक अथवा अन्य किस्म मापदण्ड का चावल कार्पोरेशन की गोदाम में जमा कराया जाता है तो इस स्थिति में पक्ष क्रमांक-01 द्वारा पक्ष क्रमांक-02 को कोई राशि देय नहीं होगी तथा इससे पक्ष क्रमांक-01 को कोई हानि होती है तो उसकी वसूली पक्ष क्रमांक-02 से की जा सकेगी ।

(V) <u>सीएमआर/लेव्ही चावल की गुणवत्ता एवं इस पर ध्यान न देने पर दण्डात्मक कार्यवाहियाँ</u>

17. मिलिंग उपरांत सीएमआर/लेव्ही चावल स्वीकार करने में गुणवत्ता परीक्षण हेतु त्रिस्तरीय निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी –

(अ) <u>प्रथम निरीक्षण</u> – मिल पाइंट पर गुणवत्ता जांच – संबंधित उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता निरीक्षण द्वारा।

(ब) <u>द्वितीय निरीक्षण</u> – भण्डारण केन्द्र पर प्राप्त होने वाले सीएमआर व लेव्ही चावल की गुणवत्ता जांच– एम.पी. एस.सी.एस.सी. के गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा।

(स) <u>तृतीय निरीक्षण</u> – प्राप्त चावल का मिलर को भुगतान व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय/अन्य जिले को परिवहन– एम.पी. एस.सी.एस.सी. के जिला प्रबंधक व जिला आपूर्ति अधिकारी/उनके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्ता जांच करने के पश्चात–अंतर जिला परिवहन की स्थिति में **उक्त त्रिस्तरीय गुणवत्ता जांच** के अलावा प्राप्तिकर्ता जिले के जिला प्रबंधक द्वारा स्वयं गुणवत्ता जांच की जावेगी एवं प्रमाणित गुणवत्ता का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु जारी किया जावेगा।

उपरोक्त स्थिति में यदि सीएमआर/लेव्ही चावल निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित राईस मिलर की रहेगी।

18. तीन लॉट सीएमआर/लेव्ही चावल के मिलर्स द्वारा अपग्रेड करने के/तीन लॉट सीएमआर/लेव्ही चावल के रिजेक्ट हो जाने की स्थिति में मिलर्स को नोटिस दिया जाकर ब्लेक लिस्ट घोषित करने तथा अनुबंध निरस्त किया जाकर राईस मिलर को जारी वर्ष एवं आगामी मिलिंग वर्ष के लिये भी काली सूची में घोषित किया जा सकेगा।

19. किसी मिलर का सीएमआर/लेव्ही चावल का **लॉट रिजेक्ट किये जाने पर** उसे रिजेक्शन मेमो प्राप्ति उपरांत **दो दिवस के अंदर** ऐसे लॉट को स्वयं के हर्जे खर्चे पर संग्रहण केन्द्र से उठाना

होगा। इसमें विफल रहने की स्थिति में एक ओर संबंधित मिलर का आगामी लॉट स्वीकार योग्य नहीं होगा वहीं दूसरी और 01 रूपये प्रति क्विंटल प्रतिदिन के मान से रिजेक्ट मात्रा पर पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी तथा भण्डारण व्यय वसूल किया जावेगा।

20. मिलर्स द्वारा निगम को सीएमआर/लेव्ही जमा कराने के उपरांत लॉट सब–स्टेण्डर्ड निम्न गुणवत्ता पाया जावेगा, तो उसे संबंधित मिलर्स से बदलवाने अथवा अपग्रेडशन कर इसका समस्त व्यय राईस मिलर्स से वसूल किया जावेगा।

21. मिलर द्वारा परिवहन करने की स्थिति में अधिकतम 540 बोरे (270 क्विंटल) के एक लाट में चावल का परिदान कारपोरेशन द्वारा निर्देशित गोदाम में देकर सक्षम अधिकारी से एक्सेप्टेन्स नोट प्राप्त करेगा । इस सम्पूर्ण कार्यवाही में होने वाले व्यय मिलर्स द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि कार्पोरेशन के निर्धारित गोदाम में स्थानाभाव है एवं कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में दिया जाता है तो पक्ष क्रमांक-02 कार्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर चावल का परिदान करेगा। इस प्रकार से दिए हुए आदेश के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से परिवहन व्यय पर किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति पक्ष क्रमांक एक द्वारा पक्ष क्रमांक दो को की जायेगी किन्तु इसके लिये कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथे प्रस्तुत करने की जवाबदारी पक्ष क्रमांक-02 की होगी ।

22. मिलर द्वारा परिवहन करने की स्थिति में पक्ष क्रमांक-02 मिलिंग हेतु प्राप्त की गई धान को चावल में परिवर्तित कर जब तक कार्पोरेशन के गोदाम में पक्ष क्रमांक-01 के प्रतिनिधि के रूप में डिलेव्हरी नहीं देता है तब तक धान और चावल की सुरक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहेगा । यदि इस अवधि में पक्ष क्रमांक-01 को किसी भी प्रकार की हानि होती है तब उसकी वसूली पक्ष क्रमांक-02द्वारा दी गई सिक्युरिटी (जमानत राशि और बैंक गारंटी), कस्टम मिलिंग धान प्रदाय हेतु एडवांस लॉट अमानत बतौर (सिक्यूरिटी लॉट) चावल तथा पक्ष क्रमांक-02 को देय राशियों या अन्य तरह से वसूल करने के लिए पक्ष क्रमांक-01 पूर्णतः अधिकृत है । ऐसी किसी भी स्थिति पाये जाने पर पक्ष क्रमांक 01 की सूचना पर पक्ष क्रमांक -02 द्वारा तीन दिवस में जमा कराना होगा। पक्ष क्रमांक-02 के पास उपलब्ध धान/चावल सभी संदर्भों में पक्ष क्रमांक-01 के स्वामित्व का रहेगा, पक्ष क्रमांक-02 स्कंध का कस्टोडियन रहेगा । **पक्ष क्रमांक-02 उक्त स्कंध को अनुबंध अनुसार केवल मिलिंग हेतु प्रयोग करेगा और किसी अन्य के स्वामित्व में स्थानांतरित नहीं कर सकेगा, विक्रय नहीं कर सकेगा तथा किसी वित्तीय संस्थान या अन्य को रहन/गिरवी नहीं रख सकेगा।**

23. कंडिका-13 में उल्लेख अनुसार झड़ती दर से कम मात्रा में चावल यदि पक्ष क्रमांक-02 देता है ऐसी स्थिति में जितना चावल कम प्राप्त होगा, उसकी कीमत पक्ष क्रमांक-01 द्वारा तत्समय प्रचलित चावल की कस्टम मिल्ड राइस रेट्स के सवा गुना के बराबर पक्ष क्रमांक-02 से प्राप्त की जाएगी, जो कि चावल देय **तिथि से 10** दिन के अंदर देय होगा । यदि उक्त राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो पक्ष क्रमांक-02 से 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूल किया जाएगा ।

24. चावल भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित स्पेसिफिकेशन **संलग्न परिशिष्ट स** के अनुसार तैयार करने के लिए पक्ष क्रमांक-02 वचनबद्ध है । परीक्षण करने पर यदि निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार चावल तैयार नहीं होता है एवं कार्पोरेशन के अधिकृत कर्मी परीक्षण में बी0आर0एल0(बियान्ड दी रिजेक्शन लिमिट) हो जाता है, तो उस लाट को पक्ष क्रमांक - 02 स्वयं अपने खर्च पर सूचना देने के तीन दिवस में सुधार कर जमा करायेगा या रिजेक्ट करने पर लॉट स्वयं के खर्च पर तत्काल उठायेगा।

(VI) एडवांस लॉट अमानत बतौर/बैंक गारंटी

25. चावल एडवांस लॉट अमानत बतौर (सेक्यूरीटी लॉट):–

- मिलर्स से बैंक गारंटी/एफडीआर की एवज में एडवांस एफएक्यू चावल कस्टम मिलिंग धान प्रदाय हेतु दो लॉट अमानत बतौर (सेक्यूरीटी लॉट) मिलर्स द्वारा जमा कराया जा सकता है ।
- उक्त अमानत लॉट के बराबर धान राईस मिलर्स को प्रदान की जा सकती है।
- राईस मिल द्वारा उक्त प्रदायित धान का सीएमआर निगम में जमा करावेगा।
- उक्त एडवांस लॉट के विरूद्ध धान प्रदाय तथा प्रदायित धान के विरूद्ध सीएमआर जमा की कार्यवाही अनुबंधित धान मात्रा तक जारी रहेगी।
- अग्रिम चावल का समायोजन सम्पूर्ण मिलान उपरांत राईस मिलर्स की पात्रतानुसार तथा लेव्ही चावल शासन दिशा–निर्देशानुसार, एक लॉट सीएमआर के साथ एक लॉट लेव्ही चावल के नियम अंतर्गत लेव्ही चावल से समायोजित किया जा सकेगा।
- मिलिंग अनुबंध के प्रारंभ में ही यदि मिलर्स की लेव्ही चावल की पात्रता नहीं बनने की संभावना पर एडवांस लॉट चावल को न लेकर बैंक गारंटी/टी0डी0आर0/डी0डी0 ली जावे।
- एडवांस लॉट अमानत बतौर राईस मिलर्स से मिलिंग हेतु केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित मिलिंग अवधि के दो माह पूर्व तक ही लिया जावेगा। निर्धारित अवधि के दो माह पूर्व अनुबंध करने पर अमानत बतौर बैंक गारंटी/टी0डी0आर0/डी0डी0 मिलर प्रस्तुत करेगा।
- धान उपलब्ध है, इसकी धान प्रदाय वाले जिले से लिखित पुष्टि/आरक्षित कराये जाने के उपरांत ही एडवांस चावल का लॉट प्राप्त करेंगे, जिससे आगे से कोई विसंगति की स्थिति न बने। (ऐसी स्थिति न बने की चावल स्वीकार कर लिया गया, किन्तु धान उपलब्ध नहीं है) इस हेतु संबंधित जिला प्रबंधक वा मिलर दोनों ध्यान रखें ।

26. यदि मिलर्स धान प्रदाय हेतु चावल एडवांस लॉट अमानत बतौर जमा नहीं कराता है, तो पक्ष क्रमांक-02 कम से कम रूपये 05 लाख एक लॉट हेतु अथवा मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 25.00 लाख रूपये प्रदायित धान की मात्रा के अनुपात में बैंक गारंटी/ टी0डी0आर0/डी0डी0 पक्ष क्रमांक-01 को प्रस्तुत करेगा । केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी । बैंक गारंटी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील होनी चाहिए । धान की कीमत का निर्धारण मोटे धान के लिए **रूपये 1230** प्रति क्विंटल व ग्रेड-ए धान की कीमत **रूपये 1265** प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा । धान की कीमत प्रति क्विंटल परिवर्तनीय है तथा बाजार दर बढ़ने पर धान की कीमत में बढ़ौत्री की जाएगी, जो कि पक्ष क्रमांक-2 पर बंधनकारी रहेगी । पक्ष क्रमांक-01 द्वारा उक्त दरों से धान की कीमत का आंकलन करते हुए पक्ष क्रमांक-02 द्वारा जमा कराई गई उक्त बैंक गारंटी राशि के अनुरूप पक्ष क्रमांक-02 को धान की डिलीवरी मिलिंग हेतु दी जाएगी ।

(VII) अन्य बिन्दु –

27. इस इकरारनामे को किसी भी कंडिका को लेकर किसी प्रकार का विवाद होने पर प्रकरण आर्बीट्रेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल अथवा उनके मनोनित व्यक्ति होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

28. कारपोरेशन द्वारा नये बोरों को पलटकर उनमें धान भरकर मिलर को प्रदाय की जावेगी । मिलर द्वारा इन्हीं बोरों को धान से खाली कर खाली बोरों को मूल स्वरूप में सीधाकर सीधे बारदानों पर चावल की भरती के लिए नीले रंग की स्टेंसिल जिसमें राईस मिलर का नाम , पता , अरबा या उसना चावल , कामन या ग्रेड 'ए' , शुद्ध वजन , उपार्जन वर्ष - खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 , लाट/ मिलर का संपर्क नंबर इत्यादि का उल्लेख हो , लगाकर चावल की भरती कर भरे हुए बोरों की स्टीचिंग मशीन से नीले रंग के धागों द्वारा डबल सिलाई करेगा । पक्ष

क्रमांक-02 द्वारा चावल में उपयोग किए गए बारदानों की गणना कार्पोरेशन को दिए गए चावल की मात्रा में उपयोग किए गए बोरों के मान से की जावेगी । **पक्ष क्रमांक-01 द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान के साथ जो भरे हुए बोरे प्रदाय किए जाएंगे, वे बोरे कार्पोरेशन को चावल के साथ देने के पश्चात् जो रिक्त बोरे पक्ष क्रमांक-02 स्वयं अपने पास रखेगा और इसके विरूद्ध पक्ष क्रमांक-01 को निर्धारित अवक्षरण राशि के कटौत्रा उपरांत शेष राशि प्रति नग के मान से भुगतान करेगा अथवा यह राशि उसको देय राशि में से कटौत्रा की जा सकेगी । खाली बारदाना पक्ष क्रमांक-02 द्वारा रखे जाएंगे, पक्ष क्रमांक-01 उन्हें वापस नहीं लेगा । खाली बारदानों के मूल्य का निर्धारण पक्ष क्रमांक-01 द्वारा किया जाएगा जो पक्ष क्रमांक 02 को मान्य वा बंधनकारी रहेगा ।**

29. पक्ष क्रमांक-01 मिलिंग हेतु अनुबंधित धान की मात्रा पक्ष क्रमांक-02 को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं है । धान की अनुबंधित मात्रा कम या अधिक हो सकती है । धान की मात्रा कम होने पर पक्ष क्रमांक-02 का पक्ष क्रमांक-01 पर कोई क्लेम नहीं रहेगा ।

30. यह कि पक्ष क्रमांक-02, पक्ष क्रमांक-01 से प्राप्त की गई धान की मिलिंग उपरांत तैयार किए गए सीएमआर चावल की डिलीवरी कार्पोरेशन को देकर एक्सेप्टेंस नोट कार्पोरेशन के संबंधित कार्यालय से प्राप्त करेगा । एक्सेप्टेंस नोट में दर्शित मात्रा की धान के मिलिंग चार्जेस का मासिक बिल पक्ष क्रमांक-02 पक्ष क्रमांक-01 को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा । पक्ष क्रमांक-01 द्वारा प्रस्तुत देयकों में यदि कोई कमी शेष रहती है तो पक्ष क्रमांक-01 द्वारा पक्ष क्रमांक-02 को समस्त कमियों से एक ही बार में अवगत करा दिया जाएगा । बिल में शेष कमी पूर्ण किए जाने के उपरांत पक्ष क्रमांक-01 द्वारा पक्ष क्रमांक-02 को प्रस्तुत बिल की राशि का भुगतान एक सप्ताह की अवधि में कर दिया जाएगा। यदि चांवल जमा के समय गुणवत्ता बाबत् कोई कटौती की जाती है तो कटौती की राशि मय 16 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज से पक्ष क्रमांक-02 के द्वारा प्रस्तुत देयक से काट कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

31. यह कि पक्ष क्रमांक-02 मिलिंग कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद उसे मिलिंग हेतु दी गई धान उसके द्वारा मिलिंग उपरांत कार्पोरेशन को दिए गये चावल एवं बारदानों का पूरा हिसाब पक्ष क्रमांक-01 को प्रस्तुत करेगा । इसके साथ ही पक्ष क्रमांक-02 इस बात के लिए वचनबद्ध है कि यह इस कंडिका में ऊपर दर्शाये अनुसार धान, चावल और गनी बैग्स का मासिक हिसाब भी प्रत्येक माह की आगामी 07 तारीख तक पक्ष क्रमांक-01 को प्रस्तुत करेगा तथा मासिक हिसाब मिलान करायेगा ।

32. यह कि पक्ष क्रमांक-01 अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी समय पक्ष क्रमांक-02 के लेखों का, मिल प्रांगण का, मिलिंग प्रोसेस का निरीक्षण और मिलिंग हेतु दी गई धान तथा चावल के स्कंध का भौतिक सत्यापन कर सकेंगे । ऐसे निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के लिए पक्ष क्रमांक-02, पक्ष क्रमांक-01 को समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

33. यह कि पक्ष क्रमांक -02 तत्समय प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का तथा राज्य शासन/केन्द्र शासन/कार्पोरेशन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगा। पक्ष क्रमांक -02 द्वारा जाने अथवा अजाने में इनके उल्लंघन करने पर पूर्ण जवाबदार पक्ष क्रमांक - 02 की रहेगी और ऐसे अपकृत्य के लिये पक्ष क्रमांक - 01 जवाबदार नहीं रहेगा।

34. यह कि पक्ष क्रमांक-02 पर उल्लेखित कंडिकाओं में से किसी का भी पालन करने में असमर्थ रहता है और परिणामस्वरूप पक्ष क्रमांक-01 को किसी प्रकार की हानि होती है तब उसकी वसूली पक्ष क्रमांक-01 पक्ष क्रमांक-02 से करेगा ।

35. यह कि पक्ष क्रमांक-02 ऊपर बतलाई गई कंडिकाओं के अनुसार धान की मिलिंग करने में असमर्थ रहता है तो पक्ष क्रमांक-02 की जमानत राशि राजसात कर ली जाएगी तथा अनुबंधित मात्रा की शेष धान उसकी रिस्क एंड कास्ट पर पक्ष क्रमांक-01 द्वारा अन्य जगह धान की मिलिंग कराई जाएगी और इसमें जो भी हानि होगी, उसकी वसूली पक्ष क्रमांक-01, पक्ष क्रमांक-02 से करेगा ।

36. इस अनुबंध की वैघता, अनुबंध की तिथि से प्रारंभ होकर पक्ष क्रमांक-02 द्वारा धान की मिलिंग पश्चात् चावल का पूर्ण परिदान कार्पोरेशन को होने तथा पक्ष क्रमांक-01 द्वारा अंतिम हिसाब कर लेने के पश्चात् जमानत के रूप में जमा राशि वापिस करने तक की अवधि के लिए लागू होगा ।

37. इस अनुबंध को लेकर या इसकी किसी भी कंडिका से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्याय का क्षेत्र संबंधित अनुबंधकर्ता जिले का होगा ।

इस अनुबंध में वर्णित शर्तो के अपरिहार्य परिस्थितियों में पालन न हो पाने की स्थिति में गुण-दोष के आधार पर शर्तो में शिथिलता देने का अधिकार कारपोरेशन के प्रबंध संचालक को होगा ।

हस्ताक्षर..................................	**हस्ताक्षर.................................**
पदनाम..................................	**नाम......................................**
(पक्ष क्रमांक-01)	**(पक्ष क्रमांक-02)**
साक्षीः-	**साक्षीः-**
हस्ताक्षर..................................	**हस्ताक्षर.................................**
पदनाम..................................	**नाम......................................**

संलग्न - भारत शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारि चावल के स्पेसिफिकेशन ।

परिशिष्ट स'

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & COMMON RICE (MARKETING SEASON 2010-2011)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to PFA Standards:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%) Grade 'A'	Maximum Limit (%) Common
1.	Brokens*		
	Raw	25.0	25.0
	Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**		
	Raw/Parboiled/single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # /Slightly Damaged Grains		
	Raw	3.0	3.0
	Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains		
	Raw	3.0	3.0
	Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains		
	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains		
	Raw/Parboiled/ single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class		
	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains		
	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	12.0	12.0
9.	Moisture content @		
	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	14.0	14.0

* Including 1% small brokens

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin

\# Including pin point damaged grains

@ Rice (both Raw and Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

****

Uniform speci.

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1 The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml.of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:-

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W = Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.

3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernel will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.

Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.

5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

Uniform speci.